संख्या– 1849/38–7–2009–109एनआरईजीए/07

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 | लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई, 2009

विषयः–विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के आगणनों की वित्तीय सीमा निर्धारित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1204/38–7–07–109एनआरईजीए/07, दिनांकः 23–08–2007 तथा संख्या–1133/38–7–08–109एनआरईजीए/07, दिनांकः 24–06–2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत तकनीकी/प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति तथा एम0बी0 किए जाने का प्राविधान किया गया है तथा आगणनों की वित्तीय स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वृहद कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है परन्तु उनके आगणनों का तकनीकी परीक्षण व अनुमोदन सक्षम स्तर पर नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर अनियमितता होगी। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त अधिकारीगण उपरोक्त शासनादेश में दिए गये निर्देश/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा किसी भी दशा में उक्त शासनादेश में विहित प्राविधानों का विचलन न हो।

3– उपरोक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रू0 07 लाख से 10 लाख तक के कार्यो का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 द्वारा किया जायेगा। रू0 10 लाख से रू0 20 लाख तक कार्यो का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा रू0 20 लाख के ऊपर के समस्त कार्यो का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित शासनादेश में प्राविधानित निर्धारित मानकों के अनुरूप आगणन की स्वीकृति की जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1349 (1)/38–7–2009 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।